



तचैप्टर 3.43

Parks and Recreation Facilities Code (पार्क एंड रकिरएिशन फ़ैसलिटीज कोड)



अनुभाग

3.43.010	पुलसि की ताकत।.....	4
3.43.020	परभाषाएं।.....	4
3.43.030	नयिम बनाना।.....	5
3.43.040	रात भर कैम्पगि।.....	5
3.43.050	आतशिबाजी।.....	5
3.43.055	आग्नेयास्त्र, हथियार।.....	6
3.43.060	गंदगी फैलाना.....	6
3.43.070	खेल आश्रय, अभ्यारण्य या संरक्षति स्थल - वन्यजीवों की अशांति।.....	6
3.43.080	वन्यजीवों को पकड़ना या उन पर हमला करना नषिदिध है।.....	6
3.43.090	जानवरों को खलाना।.....	6
3.43.100	अतकिरमण.....	7
3.43.110	संपत्त को हटाना या नष्ट करना।.....	7
3.43.130	कुत्ते और पालतू जानवर - नषिदिध क्षेत्त्र।.....	7
3.43.135	कुत्ते और पालतू जानवर - कुछ समुद्र तटों पर नषिदिध।.....	7
3.43.140	पशुओं के मल को हटाना।.....	8
3.43.145	बड़े पैमाने पर जानवरों का दौड़ना प्रतबिंधति है।.....	8
3.43.150	जानवरों द्वारा वधिन।.....	8
3.43.160	मोटर वाहन।.....	8
3.43.170	गतसीमा।.....	8
3.43.180	मोटर वाहनों की पार्कगि।.....	8
3.43.190	वाणज्यकि जलयान नषिदिध।.....	9
3.43.200	लैडगि, लॉन्चगि, डॉकगि और वॉटरक्राफ्ट का उपयोग - नषिदिध।.....	9
3.43.210	रात भर के लिए बंधक बनाना नषिदिध है।.....	10
3.43.220	गतसीमा - दूरी सीमाएं।.....	10
3.43.230	लार्सन लेक - सभी जलयान प्रतबिंधति।.....	10

3.43.240	आग	10
3.43.250	मादक पेय पदार्थ प्रतर्बिंधति।.....	10
3.43.260	ध्वनप्रवरधन उपकरण प्रतर्बिंधति।.....	11
3.43.270	संकेत, पोस्टर और नोटसि पोस्ट करना।.....	11
3.43.280	याचना।.....	11
3.43.290	बकिरी या माल, भोजन या सेवाएँ - परमटि आवश्यक है।.....	11
3.43.300	मोटर चालति मॉडलों का परचालन प्रतर्बिंधति है।.....	12
3.43.310	गैर-मोटर चालति वाहनों का उपयोग - कुछ क्षेत्रों में प्रतर्बिंधति।.....	12
3.43.320	नषिकासन.....	12
3.43.330	बंद होने का समय	13
3.43.335	पेड़ और वनस्पति- शहर की संपत्ति।.....	13

3.43.010 पुलसि की ताकत।

इस चैप्टर को शहर की पुलसि की ताकत के लिए एक अभ्यास के रूप में घोषित किया गया है; इसके प्रावधानों को प्राकृतिक वातावरण, जनता में शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए उदारतापूर्वक नरिमति किया जाएगा। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.020 परभाषाएं।

“एयर या गैस हथियार” मतलब कोई भी एयर पसि्टल या एयर राइफल जिससे एक बीबी, पलिट, या अन्य प्रक्षेप्य को संपीडित हवा, कार्बनडाइआक्साइड या अन्य गैस के बहाव के जरिए चलाने के लिए बनाया गया है।

“वभिग” का मतलब शहर के पार्क एवं सामुदायिक सेवाएँ का वभिग है।

“नदिशक” का मतलब पार्क एवं सामुदायिक सेवाएँ वभिग के नदिशक और नदिशक के अधिकृत एजेंट हैं।

“आग्नेयास्त्र” का मतलब एक हथियार या उपकरण है जिससे किसी प्रक्षेप्य या प्रक्षेप्य को बरूद जैसे वसिफोटक द्वारा दागा जा सकता है।

“इन्फ्लैटेबल, गैर-मोटर चालति जलयान” का मतलब उन गैर-मोटर चालति जलयानों से है जनिमें दो या दो से अधिक फुलाने योग्य कक्ष होते हैं और जो दो या दो से अधिक चप्पुओं से चलते हैं।

“मोटर चालति वॉटरक्राफ्ट” का मतलब उन तैरने वाले उपकरणों से है जनिहें आंतरिक दहन इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर के उपयोग से संचालति करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन्फ्लैटेबल, मोटर चालति वॉटरक्राफ्ट को इस परभाषा में शामिल किया जा सकता है अगर वे आंतरिक दहन इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर के उपयोग से संचालति होते हैं।

“गैर-मोटर चालति साइकलि या समान उपकरण” का मतलब किसी भी पहिदार, ऑपरेटर-चालति उपकरण से है जो व्हीलचेयर को छोड़कर, ऑपरेटर को जमीन पर ले जाता है। गैर-मोटर चालति साइकलि या इसी तरह के उपकरण में यूनीसाइकलि, स्केटबोर्ड, साइकलि, ट्राइसाइकलि, क्वाडसाइकलि और स्कूटर शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमति नहीं है।

“गैर-मोटर चलति वॉटरक्राफ्ट” का मतलब उन तैरने वाले उपकरणों से है जो पानी में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सहारा देने या सहायता करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और जनिहें चप्पू चलाने वाले या पाल के उपयोग से चलाया जा सकता है या नहीं भी चलाया जा सकता है।

“नॉनस्वमिगि सीज़न” का अर्थ वर्ष का वह भाग है जसि तैराकी सीज़न के रूप में नरिदष्टि नहीं किया गया है।

“पार्क” का मतलब है सभी पार्क और उनमें मौजूद जल नकियाय, चौराहे, प्लाजा, ट्रेल्स, गोल्फ कोर्स, संग्रहालय, समुद्र तट, खेल के मैदान, मैदान, वनस्पति उद्यान, ग्रीनबेल्ट और अन्य पार्क, मनोरंजन और खुले स्थान क्षेत्र, पार्कगि स्थल, भवन और सुविधाएं जसिमें शहर के पार्क और मनोरंजन प्रणाली शामिल है, जो शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्तिके प्रबंधन और नियंत्रण के तहत आता है।

“मनोरंजन कार्यक्रम” का मतलब वभिाग द्वारा संचालति, प्रायोजति या सहायता प्राप्त कोई भी कार्यक्रम या गतविधि है, चाहे वह किसी पार्क में हो या नहीं।

“तैराकी मौसम” का मतलब है समय की अवधि, जैसा कि शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्ति द्वारा नरिदष्टि कथिा गया है, लगभग जून के मध्य से सतिंबर के पहले सप्ताह तक, जब लाइफगार्ड पार्क तैराकी समुद्र तटों पर दैनिकि ड्यूटी पर होते हैं। (Ord. 6147 § 1, 2014; Ord. 6074 § 1, 2012; Ord. 4566 § 1, 1993; Ord. 4480 § 1, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.030 नयिम बनाना।

शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्ति के पास इस चैप्टर के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति है। शहर के पार्क और मनोरंजन प्रणाली को प्रबंधति और नयित्तरति करने के लिए शहर प्रबंधक या उसका नामति व्यक्ति चैप्टर के अनुरूप नयिमों और वनियिमों को अपना सकता है, संशोधति कर सकता है और रद्द कर सकता है, जसिमें नमिनलखिति नयिम भी शामिल हैं:

- A. इस चैप्टर को स्पष्ट करें, व्याख्या करें या लागू करें;
- B. पार्कों के उपयोग को विनियमित करें;
- C. पार्कों में आचरण को विनियमित करें;
- D. पार्कों में प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दिष्ट करें;
- E. मनोरंजक कार्यक्रमों को विनियमित करें;
- F. सार्वजनिक उपयोग और/या मोटर वाहनों द्वारा प्रवेश या उपयोग के लिए विशेष पार्कों या पार्क सुविधाओं के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित करें। (Ord. 4480 § 2, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.040 रात भर कैम्पगि ।

Ord. 6385 के द्वारा प्रतसि्थापति

3.43.050 आतशिबाजी।

शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्ति द्वारा जारी परमटि के अलावा, किसी भी पार्क में आतशिबाजी रखना और/या उसका उपयोग करना गैरकानूनी है। (Ord. 4480 § 4, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.055 आग्नेयास्त्र, हथियार।

वधिवित अधिकृत कानून प्रवर्तन कर्मियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के पास शहर के पार्क में धनुष और तीर, क्रॉसबो, या वायु या गैस हथियार नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति Bellevue park कक्षेत्र के किसी भी शहर में आग्नेयास्त्र, धनुष और तीर, क्रॉसबो, वायु या गैस हथियार, या किसी भी व्यक्ति या जानवर को घायल करने या मारने, या किसी भी सार्वजनिक या नजी संपत्तिको नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने में सक्षम किसी भी उपकरण का नरिवहन नहीं करेगा। यह धारा वहां लागू नहीं होगी जहां शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्ति ने एक विशेष मनोरंजक गतिविधि को लिखित रूप में अधिकृत किया है या जहां व्यक्तिगत सुरक्षा स्प्रे का कब्जा और/या नरिवहन RCW 9.91.160, के तहत स्पष्ट रूप से अधिकृत है, जैसा कि अपनाया गया है या इसके बाद संशोधित किया गया है। (Ord. 6074 § 2, 2012.)

3.43.060 गंदगी फैलाना

किसी भी पार्क में नरिदष्ट कूड़ेदानों को छोड़कर किसी भी कूड़े या अन्य सामग्री को फेंकना या जमा करना, या कूड़े को पार्क में नपिटान के लिए ले जाना या मना करना, या पार्क के बाहर उत्पन्न कूड़े या कूड़े को पार्क के भीतर जमा करना गैरकानूनी है। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.070 खेल आश्रय, अभयारण्य या संरक्षित स्थल - वन्यजीवों की अशांति

शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्तिद्वारा खेल आश्रय, अभयारण्य या रजिस्व के रूप में नामति और पोस्ट किए गए पार्क में किसी भी कक्षेत्र में प्रवेश करना गैरकानूनी है; या वहां स्थिति वन्यजीवों या किसी भी वन्यजीव के घोंसले या प्रजनन स्थल से छेड़छाड़ करना या परेशान करना। (Ord. 4480 § 5, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.080 वन्यजीवों को पकड़ना या उन पर हमला करना नषिदिध है।

किसी भी पार्क में किसी भी प्रकार से किसी भी वन्यजीव को किसी भी छड़ी, हथियार या अन्य उपकरण या चीज़ से पकड़ना, हमला करना, मारना या परेशान करना या पकड़ने का प्रयास करना, हमला करना, मारना या परेशान करना या मसिाइल फेंकना या फेंकना गैरकानूनी है या ऐसे किसी भी वन्यजीव पर या उसके आसपास आपत्तजिता सकता है, सवाय इसके कि शहर प्रबंधक या उसका नामति व्यक्ति अनुसंधान या स्थानांतरण उद्देश्यों के लिए वन्यजीवों को पकड़ने की मंजूरी दे सकता है। (Ord. 4480 § 6, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.090 जानवरों को खलाना।

किसी भी व्यक्ति के लिए खेत के जानवरों या वन्यजीवों को खलाने के इरादे से किसी भी प्रकार या प्रकृति के खाद्य पदार्थों को छोड़ना, रखना या वतिरति करना गैरकानूनी है; बशर्ते, यह धारा पार्क विभाग के कर्मियों द्वारा खेत जानवरों या वन्यजीवों को खलाने पर लागू नहीं होगी। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.100 अतकिरण

अपने कर्तव्यों के पालन में अधिकृत शहर कर्मचारी या कानून के अनुसार वधिवित अधिकृत अन्य व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करना या जाना गैरकानूनी है, जैसा शहर प्रबंधक या उसके द्वारा निर्दिष्ट और तैनात किया गया है जैसा "No Admittance (प्रवेश नषिध)" या "No Trespassing (अतकिरण नषिध)" क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है, या किसी भी समय जिसके दौरान पार्क को जनता के लिए बंद रखा गया है। (Ord. 4480 § 7, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.110 संपत्ति को हटाना या नष्ट करना।

शहर के अधिकृत कर्मचारी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी पार्क की संपत्ति, संरचना, सुविधा या स्टेशन को हटाना, नष्ट करना, विकृत करना या वरिपति करना गैरकानूनी है। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.130 कुत्ते और पालतू जानवर - नषिदिध क्षेत्र।

किसी भी व्यक्ति के लिए शहर के प्रबंधक या उसके नामित व्यक्ति द्वारा खेल आश्रय, अभयारण्य या रजिस्टर के रूप में नामित और पोस्ट किए गए पार्क में किसी भी क्षेत्र में किसी कुत्ते या अन्य पालतू जानवर को अनुमति देना, या ऐसे कुत्ते या अन्य पालतू जानवर को छोड़छाड़ करने की अनुमति देना या उसमें वन्यजीवों को परेशान करना या ऐसे किसी भी वन्यजीव के घोंसले या प्रजनन स्थान को परेशान करना, या किसी कुत्ते या अन्य पालतू जानवर को किसी अन्य क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देना, जैसा शहर प्रबंधक या उसके नामित व्यक्ति ने जानवरों के लिए नषिदिध स्थान के रूप में तैनात किया हो, गैरकानूनी है। (Ord. 4480 § 9, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.135 कुत्ते और पालतू जानवर - कुछ समुद्र तटों पर नषिदिध।

किसी भी व्यक्ति के लिए 1 जून से 15 सितंबर तक नमिनलखित समुद्र तट पार्कों या जल मनोरंजन क्षेत्रों में किसी कुत्ते या पालतू जानवर को रहने की अनुमति देना गैरकानूनी है:

Chesterfield Beach Park

Chism Beach Park

Clyde Beach Park

Enatai Beach Park

Meydenbauer Beach Park

Newcastle Beach Park

West Tributary of Kelsey Creek, Kelsey Creek Community Park (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.140 पशुओं के मल को हटाना।

किसी भी पार्क में कुत्ता या पालतू जानवर रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानवर के आचरण के लिए जिम्मेदार होगा, मल हटाने के लिए उपकरण ले जाएगा और ऐसे कुत्ते या पालतू जानवर द्वारा जमा किए गए किसी भी मल को इकट्ठा करके एक उचित पात्र में रखेगा। किसी भी व्यक्ति के लिए कुत्ते या पालतू जानवर द्वारा जमा किए गए किसी भी मल को इकट्ठा करने और अपने कब्जे में रखने में असफल होना गैरकानूनी होगा। (Ord. 4480 § 10, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.145 बड़े पैमाने पर जानवरों का दौड़ना प्रतिबंधित है।

सार्वजनिक कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुत्तों को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी कुत्ते या अन्य पालतू जानवर को किसी भी पार्क में बड़े पैमाने पर दौड़ने की अनुमति देना या करने देना गैरकानूनी है; बशर्ते कि, उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां जानवरों को प्रतिबंधित किया गया है, कुत्तों या अन्य पालतू जानवरों को पार्क में अनुमति दी जाती है अगर पट्टा छह फीट से अधिक लंबा न हो, या अन्यथा सुरक्षित रूप से पजिरे में बंद हो या सुरक्षित रूप से स्वतंत्र रूप से चलने से रोका गया हो। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.150 जानवरों द्वारा वधिन।

किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी कुत्ते या अन्य पालतू जानवर को, चाहे वह पट्टे पर हो या बंद हो, किसी भी पार्क उपयोगकर्ताओं, खेत के जानवरों, वन्यजीवों या अन्य पालतू जानवरों को परेशान करने या परेशान करने की अनुमति देना गैरकानूनी है। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.160 मोटर वाहन।

किसी भी पार्क के ऊपर या उसके पार (नरिदृष्ट पार्क सड़कों, ड्राइव और पार्कवे को छोड़कर), या किसी भी सड़क, ड्राइव या पार्कवे पर जैसी वाहनों के आवागमन के लिए बंद माना जाता है, किसी भी मोटर चालित वाहन को चलाना, चलाना, चलाना या नरिदेशित करना गैरकानूनी है। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.170 गतसीमा।

जब कोई गतसीमा पोस्ट नहीं की गई हो, या किसी भी पोस्ट की गई गतसीमा से अधिक हो, तो किसी भी सड़क पर, किसी पार्क में ड्राइव या पार्कवे पर 15 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से किसी भी मोटर चालित वाहन को चलाना, ड्राइव करना या नरिदेशित करना गैरकानूनी है। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.180 मोटर वाहनों की पार्कगि।

Ord. 6147 के द्वारा प्रतिस्थापित

3.43.190 वाणजियकि जलयान नषिदिध।

समुद्री क्षेत्रों और समुद्री सुवधिओं का वाणजियकि उद्देश्यों के लिए या वाणजियकि वॉटरक्राफ्ट के लिए ऐसे क्षेत्रों या सुवधिओं का उपयोग करना गैरकानूनी है, सवाय इसके कि जब शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्तिद्वारा जारी परमिटि के अनुसार ऐसा कथिा गया हो। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वाणजियकि वॉटरक्राफ्ट" का मतलब कसिी भी व्यावसायिकि उद्देश्य के लिए उपयोग कथिा जाने वाला वॉटरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें शहर के साथ रथियती पट्टे के तहत संचालति वॉटरक्राफ्ट शामिल नहीं होगा। (Ord. 4480 § 11, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.200 लैंडगि, लॉन्चगि, डॉकगि और वॉटरक्राफ्ट का उपयोग - नषिदिध।

कसिी भी व्यक्ति के लिए कसिी पार्क की सीमा के भीतर कसिी तैराकी क्षेत्र, गोदी, घाट, फ्लोट या तटरेखा पर कसिी वॉटरक्राफ्ट को उतारना, लॉन्च करना, डॉक करना या उपयोग करना गैरकानूनी है, वशिष रूप से वॉटरक्राफ्ट द्वारा ऐसे उपयोग के लिए नरिदषिटि क्षेत्रों को छोड़कर; बशरते वॉटरक्राफ्ट नीचे बताए अनुसार नमिनलिखति क्षेत्रों का उपयोग कर सकता है:

A. संकेतित समय के दौरान गैर-मोटर चालित वॉटरक्राफ्ट को निम्नलिखित पार्कों में लॉन्च और उतारा जा सकता है:

Chesterfield Beach Park	गैर तैराकी मौसम
Meydenbauer Beach Park	गैर तैराकी मौसम
Chism Beach Park	गैर तैराकी मौसम
Clyde Beach Park	पूरे वर्ष, सरिफ नरिदषिटि क्षेत्रों में
Burrows Landing	पूरे वर्ष, सरिफ नरिदषिटि क्षेत्रों में
Enatai Beach Park	पूरे वर्ष, सरिफ नरिदषिटि क्षेत्रों में
Newcastle Beach Park	पूरे वर्ष, सरिफ नरिदषिटि क्षेत्रों में

B. निर्दिष्ट समय के दौरान निम्नलिखित पार्कों में मोटर चालित और गैर-मोटर चालित जलयान लॉन्च और उतारे जा सकते हैं:

40 स्ट्रीट बोट लॉन्च	पूरे वर्ष, सरिफ नरिदषिटि क्षेत्रों में
Sweylocken बोट लॉन्च	पूरे वर्ष, सरिफ नरिदषिटि क्षेत्रों में

C. वॉटरक्राफ्ट को निम्नलिखित से लॉन्च या लैंड नहीं कथिा जा सकता है:

Robinsglen Nature Park	पूरे वर्ष
------------------------	-----------

D. यह धारा बचाव, जीवनरक्षा, कानून प्रवर्तन, पार्क रखरखाव या शहर प्रायोजित गतिविधियों के लिए उपयोग कथिा जाने वाले जलयान पर लागू नहीं होगी।

E. संघर्ष की स्थिति में, Harbor कोड, चैप्टर 12.04 BCC के प्रावधानों का इस कोड पर नियंत्रण होगा। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.210 रात भर के लिए बंधक बनाना नषिदिध है।

शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्तकी अनुमतके अलावा, कसी भी व्यक्तके लिए कसी भी पार्क में रात भर जलयान खड़ा करना गैरकानूनी है। (Ord. 4480 § 12, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.220 गतसीमा - दूरी सीमाएं।

कसी भी व्यक्तके लिए कसी भी तैराकी क्षेत्र, डॉक या पार्क तटरेखा के 300 फीट के भीतर सात समुद्री मील से अधिक गतपर कसी भी जलयान का संचालन करना गैरकानूनी है; या जीवन या संपत्तको खतरे में डालने वाली आपातकालीन स्थतिको छोड़कर, ऐसे कसी तैराकी क्षेत्र, डॉक या पार्क तटरेखा से 100 फीट से अधिक करीब जाना; या शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्त द्वारा नरिदषिट क्षेत्रों में, या वॉटरक्राफ्ट के ऑपरेटर की संपत्ततिक पहुंचने के लिए आवश्यक है। (Ord. 4480 § 13, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.230 लार्सन लेक - सभी जलयान प्रतबिंधति।

कसी भी व्यक्तके लिए Larson Lake के पानी पर कसी भी प्रकार के वॉटरक्राफ्ट का उपयोग या संचालन करना गैरकानूनी है, जसिमें कोई तैरता हुआ उपकरण, गैर-मोटर चालति वॉटरक्राफ्ट या मोटर चालति वॉटरक्राफ्ट शामिल है। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.240 आग।

कसी भी व्यक्तके लिए नरिदषिट सुवधियों या स्वयं-नहिति स्टोव को छोड़कर, पार्क में आग लगाना या बनाए रखना गैरकानूनी है। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.250 मादक पेय पदार्थ प्रतबिंधति।

कसी भी व्यक्तके लिए पार्क में कसी भी मादक पेय का उपयोग करना या उसे अपने पास रखना गैरकानूनी है, जसिमें खुले मादक पेय कंटेनर भी शामिल हैं; बशरते कयिह नषिध उन संगठति समूहों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्तसे और, यदि आवश्यक हो, तो State Liquor Control Board (राज्य शराब नियंत्रण बोर्ड) से परमटि प्राप्त कयि है। (Ord. 4480 § 14, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.260 ध्वनि प्रवर्धन उपकरण प्रतबंधित।

- A. किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी पार्क में रेडियो, टेप प्लेयर, टेलीविजन, संगीत वाद्ययंत्र, रिकॉर्ड प्लेयर या किसी अन्य मशीन या डिवाइस का उपयोग करना, संचालित करना या बजाना या उपयोग करने, संचालित करने या चलाने की अनुमति देना, जो ऐसी ध्वनि जो शहर प्रबंधक या उसके नामित व्यक्ति द्वारा जारी किए गए परमिट के अलावा, उससे 30 फीट से अधिक की दूरी पर सुनाई देती है, गैरकानूनी है।
- B. पार्क की उपलब्धता के अधीन, शहर प्रबंधक या उसका नामित व्यक्ति ध्वनि प्रवर्धन उपकरण का उपयोग करने पर इस अनुभाग की उपधारा A के अपवाद के लिए शर्तों के साथ परमिट प्रदान करेगा या प्रदान करेगा:
1. सार्वजनिक उपद्रव नहीं बनेगा;
 2. सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा;
 3. सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में नहीं डालेंगे; और
 4. एक ऐसे आयोजन से जुड़ा है जो आम जनता के लिए खुला है।
- C. शहर प्रबंधक या उसका नामित व्यक्ति इस अनुभाग के तहत परमिट के प्रशासन की अनुमति देने के लिए BCC 3.43.030 के अनुसार प्रशासनिक नियमों को अपना सकता है।
- D. इस धारा की उपधारा A का उल्लंघन और इस धारा के अनुसार जारी किए गए परमिट के उल्लंघन को चैप्टर 9.18 BCC में निर्धारित नागरिक शोर उल्लंघन माना जाएगा। (Ord. 5721 § 1, 2007; Ord. 4480 § 15, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.270 संकेत, पोस्टर और नोटिस पोस्ट करना।

किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी पार्क में वजिजापन के लिए कोई संकेत, पोस्टर या सूचना या किसी भी प्रकार का कोई अन्य उपकरण पोस्ट करना या संलग्न करना गैरकानूनी है, सविय इसके कजिब शहर प्रबंधक या उसके नामित व्यक्ति द्वारा अधिकृत किया गया हो। (Ord. 4480 § 16, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.280 याचना।

शहर प्रबंधक या उसके नामित व्यक्ति द्वारा जारी परमिट के अलावा, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी पार्क में मानव उपभोग के लिए किसी भी सामान, सेवाओं, माल, माल, तरल पदार्थ या खाद्य पदार्थों की मांग करना, बेचना या बेचना गैरकानूनी है। (Ord. 4480 § 17, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.290 बकिरी या माल, भोजन या सेवाएँ - परमिट आवश्यक है।

शहर प्रबंधक या उसके नामित व्यक्ति द्वारा जारी परमिट के अलावा, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी पार्क में कोई माल, भोजन या सेवाएं बेचना या बेचने का प्रयास करना गैरकानूनी है। (Ord. 4480 § 18, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.300 मोटर चालति मॉडलों का परचालन प्रतबिंधति है।

किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी पार्क में किसी भी मोटर चालति मॉडल कार, वमिन, रॉकेट या वॉटरक्राफ्ट का संचालन करना गैरकानूनी है, जब तक कि सिटी मैनेजर या उसके नामति व्यक्ति द्वारा अधिकृत न किया गया हो। (Ord. 4480 § 19, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.310 गैर-मोटर चालति वाहनों का उपयोग - कुछ क्षेत्रों में प्रतबिंधति।

किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे किसी क्षेत्र में साइकलि या अन्य समान उपकरण चलाना गैरकानूनी है, जसि ऐसे वाहनों के लिए प्रतबिंधति घोषति किया गया हो। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.320 नषिकासन

- A. सिटी मैनेजर या उसका नामित व्यक्ति या उसका अधिकृत एजेंट किसी भी व्यक्ति को एक से सात दिनों की अवधि के लिए किसी भी या सभी पार्कों से निष्कासित करने का आदेश दे सकता है यदि वह ऐसे व्यक्ति को देखता है:
1. अपमानजनक या विघटनकारी ढंग से बात करना, या ऐसे तरीके से कार्य करना जो पार्क के संचालन या प्रोग्राम में हस्तक्षेप करता हो;
 2. किसी अन्य व्यक्ति पर नस्लीय रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करना;
 3. अनधिकृत क्षेत्र या सुविधा में तंबाकू उत्पादों का उपयोग करना;
 4. किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को चोट पहुंचाना या चोट का जोखिम पैदा करना;
 5. शहर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नुकसान का जोखिम उठाना; या
 6. इस चैप्टर के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना।
- B. शहर प्रबंधक या उसका नामित व्यक्ति या उसका अधिकृत एजेंट किसी भी व्यक्ति को किसी भी या सभी पार्कों से सात दिनों से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश दे सकता है यदि ऐसा व्यक्ति:
1. किसी 30-दिन की अवधि में दो या अधिक बार किसी पार्क से निष्कासित किया गया हो;
 2. किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाता है;
 3. अवैध ड्रग्स या शराब बेचता है, रखता है या उसका उपयोग करता है;
 4. हथियार रखने या उपयोग करने से संबंधित किसी भी लागू स्थानीय, राज्य या संघीय कानून का उल्लंघन करता है; या
 5. किसी भी 30-दिन की अवधि में इस चैप्टर का एक से अधिक बार उल्लंघन करता है।
- C. इस धारा के तहत निष्कासन का कोई भी आदेश लिखित रूप में होगा और निष्कासित व्यक्ति को उसके अंतिम ज्ञात पते पर व्यक्तिगत रूप से भेजा या प्रमाणित मेल द्वारा भेजा जाएगा।
- D. कोई भी व्यक्ति जो उस अवधि के दौरान किसी पार्क में प्रवेश करता है जिसके दौरान उसे इस धारा की उपधारा A या B के तहत निष्कासित कर दिया गया है, वह दुष्कर्म का दोषी है। (Ord. 6074 § 3, 2012; Ord. 4480 § 20, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.330 बंद होने का समय

पार्क बंद होने के समय के बाद पार्क में रहना, या पार्क में वाहन छोड़ना गैरकानूनी है। जब तक कि नगर प्रबंधक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा किसी विशेष पार्क के लिए कोई अन्य बंद करने का समय निर्धारित नहीं किया जाता है, पार्क सूर्यास्त के आधे घंटे बाद बंद हो जाएंगे और सूर्योदय से आधे घंटे पहले पुनः खुल जाएंगे, बशर्ते कि डाउनटाउन पार्क रात्रि 11:00 बजे बंद हो जाएगा और सूर्योदय से आधे घंटे पहले पुनः खुल जाएगा। यह अनुभाग अनुसूचित पार्क विभाग के आयोजनों या परविहन के लिए उपयोग की जाने वाली समरपति सड़कों और फुटपाथों पर लागू नहीं होता है जिनमें बंद के रूप में नामित नहीं किया गया है। (Ord. 6147 § 3, 2014; Ord. 4480 § 21, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.335 पेड़ और वनस्पति - शहर की संपत्ति

- A. किसी भी व्यक्ति के लिए शहर के प्रबंधक या उसके नामित व्यक्ति की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना शहर के स्वामित्व वाली या पट्टे पर दी गई संपत्ति पर स्थित किसी भी पेड़ या वनस्पति को साफ करना, काटना, क्षति पहुंचाना या हटाना गैरकानूनी होगा।
- B. इस धारा का उल्लंघन अध्याय 1.18 BCC के तहत एक नागरिक उल्लंघन है, जो BCC 1.18.045 में निर्धारित दंड के अधीन है। (Ord. 5452 § 1, 2003; Ord. 4480 § 22, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

Bellevue सटी कोड 23 अप्रैल, 2024 को पारित Ordinance (अध्यादेश) 6786 के माध्यम से लागू है।

अस्वीकरण: सटी क्लर्क के कार्यालय के पास Bellevue सटी कोड का आधिकारिक संस्करण है। ऊपर उद्धृत अध्यादेश के बाद पारित अध्यादेशों के लिए उपयोगकर्ताओं को शहर के क्लर्क कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।







दूसरे फॉर्मेट्स, दुभाषियों, या उचित संशोधन अनुरोधों के लिए कृपया कम से कम 48 घंटे पहले 425-452-2565(वॉइस) या ईमेल dvannieula@bellevuewa.gov पर फ़ोन करें। संशोधनों से संबंधित शिकायतों के लिए, Bellevue ADA शहर, टाइटल VI और समान अवसर अधिकारी से ADATitleVI@bellevuewa.gov पर संपर्क करें।